

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 547 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:- 2020/00962

अनवान :-

1. रमेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. रामस्वरूप पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार-राज

निर्णय दिनांक :- 14/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की कुल 3.0360हैक् में से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 130/130 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 2.0240हैक् में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 371/332 की कुल 2.2770हैक् में से 1/2 हिस्सा , व रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 8/11 की कुल 4.3010हैक् में से 7167/43010हैक् यानी 0.7167हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की कुल 3.0360हैक् में से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 130/130 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 2.0240हैक् में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 7 वारानी के खाता संख्या 371/332 की कुल 2.2770हैक् में से 1/2 हिस्सा , व रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 8/11 की कुल 4.3010हैक् में से 7167/43010हैक् यानी 0.7167हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य संवुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की कुल 3.0360हैक् में से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 130/130 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 2.0240हैक् में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 7 वारानी के खाता संख्या 371/332 की कुल 2.2770हैक् में से 1/2 हिस्सा , व रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 8/11 की कुल 4.3010हैक् में से 7167/43010हैक् यानी 0.7167हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्बन्ध 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भादरराम वल्द दयालाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा भादरराम वल्द दयालाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिस प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा


उपरोक्त अधिकारी  
बोहर

चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काविल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की कुल 3.0360हैक् में से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 130/130 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 2.0240हैक् में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 371/332 की कुल 2.2770हैक् में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 290/259 की 0.506है में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 8/11 की कुल 4.3010हैक् में से 7167/43010हैक् यानी 0.7167हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रमेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 547 सन 2020 निर्णय दिनांक-14/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सयुक्त एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की कुल 3.0360हैक् में से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 130/130 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 2.0240हैक् में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा चक 7 वारानी के खाता संख्या 371/332 की कुल 2.2770हैक् में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 290/259 की 0.506हैक् में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1-आरएमएस के खाता संख्या 8/11 की कुल 4.3010हैक् में से 7167/43010हैक् यानी 0.7167हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )